



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-01/2024-25

सरकार

बनाम्

राज किशोर भगत

—: आदेश :—

दिनांक 10/9/24

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला महागामा थाना काण्ड संख्या-25/2024 दिनांक-10.02.2024 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-1746/अप0शा0 दिनांक-08.06.2024 से धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या-JH17P-9497, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 2. ट्रैक्टर निबंधन संख्या-JH17AB-0716, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या-JH17P-9497, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 2. ट्रैक्टर निबंधन संख्या-JH17AB-0716, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या-JH17P-9497, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 2. ट्रैक्टर निबंधन संख्या-JH17AB-0716, टेलर निबंधन

संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या—JH17P-9497, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक राजकिशोर भगत, पिता—सत्यनारायण भगत, सा0—द्वारिचक, पथरगामा, थाना—पथरगामा, जिला—गोड्डा एवं 2. ट्रैक्टर निबंधन संख्या—JH17AB-0716, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक गुरुचरण सिंह, पिता—परमेश्वर सिंह, सा0—देवधरा जागीर, थाना—पथरगामा, जिला—गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या—JH17P-9497, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 2. ट्रैक्टर निबंधन संख्या—JH17AB-0716, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू के विरुद्ध धारा—379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षीगण को कारण—पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षीगण की ओर से कारण—पृच्छा दाखिल किया गया। विपक्षी राजकिशोर भगत ने दाखिल कारण—पृच्छा में उल्लेख किया है कि विपक्षी के जप्त वाहन के विरुद्ध विपक्षी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया था। विपक्षी जप्त वाहन के चालक को माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची से जमानत मिल गया है और विपक्षी का जप्त वाहन थाना परिसर में खुले स्थान पर रखा गया है तथा खराब होने की संभावना है। इसलिए जप्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी गुरुचरण सिंह की ओर से दाखिल कारण—पृच्छा में उल्लेख किया है कि विपक्षी एवं जप्त वाहन के चालक को माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची से जमानत प्राप्त हो गया है। विपक्षी का जप्त वाहन वाणिज्यिक वाहन है एवं खुले स्थान पर रखे रहने के कारण खराब हो रहा है। इसलिए जप्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध रूप से बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है एवं जप्त कर महागामा थाना में रखा गया

है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या—JH17P-9497, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 2. ट्रैक्टर निबंधन संख्या—JH17AB-0716, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को बालू चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। जप्ती के समय विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे बालू के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन के द्वारा अवैध ढंग से बालू का परिवहन किया जा रहा था। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मूल्य	खनिज का दोगुनी राशि	संलिप्तता के आधार पर अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
JH17P-9497	01	100	4000.00	8000.00	50000.00	58000.00
JH17AB-0716	00	100	4000.00	8000.00	00	8000.00

एवं एक-एक लाख ₹0 का जमानत बंध-पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक-एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या—JH17P-9497, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 2. ट्रैक्टर निबंधन संख्या—JH17AB-0716, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक-एक लाख रु0 का जमानत बंध-पत्र तथा एक-एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे बालू को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा


उपायुक्त
गोड्डा